GST Hindi update No 299 on notice must be issued for physical verification to taxpayer & verification should be done in presence of authorised signatory of taxpayer.

हम इस अपडेट में M/s.Curil Tradex Pvt. Ltd. V. The Commissioner of Delhi, GST & Anr. के केस के बारे में discussion करेंगे। इस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा Physical Verification के समय Premises खाली होने पर उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमे यह आरोप लगाया गया कि Taxpayer रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से या फिर गलत डॉक्यूमेंट पेश पर आवेदन किया है। उसके बाद Taxpayer के पास Cancellation का एक नोटिस आता है कि आपकी फर्म Existence में नहीं है, इसीलिए आप का रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए? उसी दिन से taxayer का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया।

Taxpayer ने इस कारण बताओ नोटिस के लिए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। Taxprayer ने हाई कोर्ट में कहा कि उसे Physical Verification से पहले कोई भी लेटर डिपार्मेंट से नहीं जारी नहीं किया गया। अगर डिपार्टमेंट द्वारा कोई Letter Issue करा होता तो Taxpayer उस दिन Physical Verification में उनके साथ मौजूद रहता। उसमे माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा है की अगर पोर्टल पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अधिकारी को उसे Mail के द्वारा या हार्ड कॉपी में भी जारी कर सकते है।

माननीय हाईकोर्ट ने भी यह माना कि Section 25 of CGST Act, 2017 के अंतर्गत किया जाने वाला फिजिकल वेरिफिकेशन authorised signatory की presence मैं ही किया जा सकता है। अतः ना तो डिपार्टमेंट ने physical verification का कोई नोटिस करदाता को दिया तथा ना ही उसकी उपस्थिति में फिजिकल वेरिफिकेशन किया हालांकि कानून के अनुसार यह आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा कि petitioner 15 दिन के अंदर revocation की एप्लीकेशन लगाएगा जिस पर डिपार्टमेंट 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना निर्णय देगा। इस प्रकार से petitioner की रिट पिटिशन को स्वीकार कर लिया गया।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। आमतौर पर यह देखा गया है कि डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है परंतु इससे करदाता का बिजनेस बंद हो जाता है। डिपार्टमेंट को चाहिए कि करदाता का

रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करें और उसे टैक्स भरने के लिए प्रेरित करें। इसी से डिपार्टमेंट को करो का भुगतान होगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देने से उल्टा डिपार्टमेंट को नुकसान ही होगा क्योंकि पुरानी वसूली करना बहुत ही मुश्किल होगा तथा करदाता दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन लेकर फिर बिजनेस शुरू कर देगा।

साथ में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हुए भी डिपार्टमेंट को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए ना कि जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई की जाए।